न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
सूर्यकान्त शर्मा(आरटीएस)
दिनांक 18.01.2021

मि.न. 120/2020

सरकार बनाम माडूराम
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खडब ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम पिचाणी तहसील कोटपूतली के ख0 न0 164/22.0है0 किस्म गै0मु0 पहाड़ मेंसे 0.03है0 पर माडूराम पुत्र प्रहलाद जाति गुर्जर निवासी शुक्लाबास तहसील कोटपूतली ने चार दिवारी लगा कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये। गैर सायल स्वयं उपस्थित आया तथा लिखित जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया। गैर सायल ने अपने जबाब में कथन किया है कि आराजी खसरा नंबर 164/0.22 है0 मोजा पिचाणी में कदिमि से निवास कर रहा है। गैर सायल द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिसके आधार पर गैर सायल को अनुतोष दिया जा सके ।हमने पटवारी रिपोर्ट एवं पत्रावली में संलग्न दस्तवेजों पर गोर किया तो विवेचन में पाया कि गैर सायल का उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण किया जाना स्वतः ही सिद्व होता है अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैर सायल माडूराम पुत्र प्रहलाद जाति गुर्जर निवासी शुक्लाबास तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम पिचाणी के ख0 न0 164/22.2है0 किस्म गैर मुमकीन पहाड़ में से 0.03है0 पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात पर बनायी गई चार दिवारी को ध्वस्त किया जाकर भौतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 0.96रू. का पचास गुणा 48 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली के आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 18.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

21 ... 40 पर ... 4.8.21

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली

2021/1/26 13:50